# मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-2

## संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

**शुक्रवार, दिनांक 25 जून, 2004 (आषाढ़ 4, 1926)**

**विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.**

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

### 1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 16 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 26 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 40 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

### 2. पृच्छा

नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती जमुना देवी ने शून्यकाल के दौरान मामला उठाया कि डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने जो प्रस्ताव दिया है, उस पर शासन की ओर से जानकारी आ जाय। श्री गोपाल सिंह चौहान, विधायक मुंगावली के साथ मारपीट की गई है और 28 जून, 2004 को राज्यसभा के चुनाव में भाग लेने से उनको रोका जा रहा है। इसलिए राज्यसभा चुनाव में भाग लेने के लिए उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करें।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के विधायक हो, विधायक, विधायक है इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी यह सुनिश्चित करें कि सदस्य श्री गोपाल सिंह चौहान राज्यसभा चुनाव की वोटिंग में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

### 3. औचित्य प्रश्न और व्यवस्था

डॉ. गौरीशंकर शेजवार, ऊर्जा मंत्री तथा श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन की कार्यवाही के चलने के दौरान माननीय सदस्य डॉ. गोविन्द सिंह द्वारा आसंदी की बिना अनुमति के बार-बार बोलने पर औचित्य प्रश्न उठाया कि यह सदन नियम और प्रक्रियाओं पर चलता है। यह शून्यकाल है और साधारणतः यह परम्परा रहती है कि नेता प्रतिपक्ष अपनी बात कहते हैं। आप तक पहुंच जाती है, सदन की जानकारी में आ जाती है, अगर विशेष बात होती है, तो आप अपने कक्ष में बुला लेते है।

## व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य द्वारा उनको बिना सुने बोलना घोर आपत्तिजनक है और यह परम्परा नहीं है। मैं इस मामले में संवेदनशीलता का अनुभव कर रहा था क्योंकि एक विधायक का प्रकरण था लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष को मैंने नियमों को शिथिल करते हुए विधायक के प्रकरण में बोलने की अनुमति दी थी लेकिन कांग्रेस के साथी बिलकुल सहयोग नहीं कर रहे है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य श्री गोपाल सिंह चौहान, सदस्य को राज्यसभा चुनाव में भाग लेने से रोकने की कोशिश करने के विरोध में नारे लगाते हुए गर्भगृह में आ गये)

व्यवधान होने से सदन की कार्यवाही 11.57 बजे 10 मिनट के लिए स्थगित होकर 12.17 बजे पुनः प्रारम्भ हुई।

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

## 4. घोषणा

अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि मैंने नियमों को शिथिल करके माननीय नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात रखने का अवसर दे दिया क्योंकि वह एक विधायक से जुड़ा हुआ मामला था, मेरी यह अपेक्षा थी कि कांग्रेस पक्ष के मेरे विधायक मित्र मुझे सहयोग देंगे और हम इस समस्या का कोई निराकरण कर लेंगे. मैं अपने इस वक्तव्य पर कि कांग्रेस के लोग कोई सहयोग नहीं दे रहे हैं मेरी कोई दुर्भावना नहीं थी, मैं इसको स्पष्ट करना चाहूंगा और किसी मित्र को इसके कारण कोई भी ठेस या दुख पहुंचने का कारण मैं नहीं मानता, मेरी इस पूरे प्रकरण में यह अपेक्षा है कि माननीय सदन के नेता और माननीय नेता प्रतिपक्ष दोनों मिल कर इस समस्या का निकाल करें ऐसा मैं उचित समझता हूं और यह मेरी अपेक्षा है और मुझे पूरा विश्वास है कि सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष दोनों मिल कर इस प्रकरण का कोई समाधानकारक हल निकालेंगे। अब मैं सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिये आप सभी लोगों से अपेक्षा करता हूं।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के समस्त सदस्यश्री गोपाल सिंह चौहान, सदस्य को राज्यसभा चुनाव में भाग लेने से रोकने की कोशिश के विरोध में गर्भगृह में आकर नारेबाजी करते रहे)

## 5. नियम 267 क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य की रीवा जिले में प्रधानमंत्री सड़क योजना के हरदी अमराघाटी मार्ग का डामरीकरण का कार्य पूर्ण न होने,

(2) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य की रीवा जिले के मऊगंज क्षेत्र के एकीकृत आदिवासी परियोजना पिपराही के आदिवासियों को बिजली न मिलने,

(3) डॉ. सुनीलम्, सदस्य की बैतूल जिले के मुलताई सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टरों के पद रिक्त होने,

(4) श्री दिलीप भटेरे (भैयालाल), सदस्य की बालाघाट जिले के लांजी क्षेत्र में टेमनी चौदाटोला के पास सोननदी पर पुल का निर्माण किये जाने,

(5) श्री छत्रपति सिंह, सदस्य की रीवा जिले के मऊगंज तहसील अंतर्गत सरपंच द्वारा स्कूलों में मध्यान्ह भोजन न कराये जाने,

(6) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य की प्रदेश के बीड़ी श्रमिकों का शोषण होने,

(7) श्री राजेश पटेल, सदस्य की भोपाल स्थित झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में विद्युत देयक मीटर की रीडिंग प्रतिमाह न ली जाने, तथा

(8) श्री बृजमोहन बद्रीनारायण धूत, सदस्य की इंदौर नवलखा बस स्टैण्ड पर बस मालिक एवं एजेन्टों द्वारा यात्रियों से दुर्व्यवहार किये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई.

## 6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बाबूलाल गौर, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्रमांक 39 सन् 1987) की धारा-30 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. क्र. 17 (ई) 95-04-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 2 जून, 2004,

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा-80 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-13-22-89-विक-पांच (51), दिनांक 11 सितम्बर, 2003,

(3) श्री ओमप्रकाश धुर्वे, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने द वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट, 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन का 45 वां प्रतिवेदन एवं हिसाब-पत्रक वित्तीय वर्ष 2002-2003 (दिनांक 1.4.2002 से 1.5.2002 तक) तथा

(4) श्री जगदीश मुवेल, राज्यमंत्री गृह ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2001-2002,

पटल पर रखे.

## 7. फरवरी-मार्च, 2004 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन

अध्यक्ष महोदय ने फरवरी-मार्च 2004 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

## 8. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विगत सत्र में पारित निम्नलिखित 6 विधेयकों को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है :-

(1) मध्यप्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 4 सन् 2004) (अधिनियम क्रमांक 3 सन् 2004),

(2) मध्यप्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2004 (क्रमांक 5 सन् 2004) (अधिनियम क्रमांक 4 सन् 2004),

(3) मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2004 (क्रमांक 6 सन् 2004) (अधिनियम क्रमांक 5 सन् 2004),

(4) मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध विधेयक, 2004 (क्रमांक 3 सन् 2004) (अधिनियम क्रमांक 6 सन् 2004),

(5) मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप-लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 1 सन् 2004) (अधिनियम क्रमांक 7 सन् 2004); तथा

(6) मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन तथा विधि मान्यताकरण) विधेयक, 2004 (क्रमांक 2 सन् 2004) (अधिनियम क्रमांक 8 सन् 2004)

## 9. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक शुक्रवार, दिनांक 25 जून, 2004 को सम्पन्न हुई जिसमें -

(1) भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) पर चर्चा के लिए 1 घन्टे का समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है.

(2) समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार दिनांक 29 जून, 2004 से 11 जुलाई, 2004 तक सभा की बैठकें नहीं होगी

(3) समिति द्वारा यह सिफारिश की गई कि दिनांक 12 जुलाई, 2004 से 27 जुलाई, 2004 तक की बैठकें सायं 6.30 बजे तक होंगी जिसमें भोजनावकाश नहीं होगा.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों पर चर्चा के लिये समय निर्धारण के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(12.24 बजे से 2.31 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

## 10. सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि शुक्रवार की बैठक के अंतिम ढाई घंटे का समय गैर सरकारी सदस्यों के कार्य संपादन के लिये नियत है। चूंकि आज की बैठक के प्रथम भाग का कुछ कार्य शेष है। अतः शेष कार्य को पहले संपादित करने के बाद कार्य सूची में सम्मिलित गैर सरकारी सदस्यों के कार्य को ले लिया जावे.

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत होगा.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

## 10. ध्यानाकर्षण

(1) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य ने रीवा शहर से एक युवक का अपहरण कर हत्या किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जगदीश मुवेल, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर अपना वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री अजय सिंह "राहुल भैया", नारायण त्रिपाठी, सदस्य ने प्रदेश के निजी इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थानों में फीस पुनर्निर्धारण से उत्पन्न स्थिति की ओर तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

चौधरी चन्द्रभान सिंह, तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण मंत्री ने इस पर अपना वक्तव्य दिया।

## 12. वक्तव्य

श्री अनूप मिश्रा, राज्यमंत्री जल संसाधन ने इंदिरा सागर परियोजना के संबंध में वक्तव्य दिया।

श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

(श्री रामलखन शर्मा सदस्य मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा इंदिरा सागर परियोजना में हरसूद के विस्थापित लोगों की ओर शासन द्वारा ध्यान नहीं दिये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

## 13. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री मधुकर हर्णे, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि -

शुक्रवार, दिनांक 25 जून, 2004 को चर्चा के लिए आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित समय अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

**शुक्रवार, दिनांक 25 जून, 2004** **निर्धारित समय**

**अशासकीय संकल्प**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | (क्रमांक-2,3) | श्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव<br>डॉ. आई.एम.पी. वर्मा | 40 मिनट |
| 2. | (क्रमांक-9) | श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा | 30 मिनट |
| 3. | (क्रमांक-13,44,67,18) | श्री नारायण त्रिपाठी<br>श्री राजेश पटेल<br>श्री रविन्द्र सुका महाजन<br>डॉ. गोविन्द सिंह | 40 मिनट |
| 4. | (क्रमांक-46) | श्री रामलखन शर्मा | 40 मिनट |

श्री मधुकर हर्णे, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के द्वितीय प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

## 14. विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 52-नोहटा से निर्वाचित सदस्य, श्री चन्द्रभान सिंह (भैया) तथा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 93 बालाघाट से निर्वाचित सदस्य, श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ने विधान सभा के अपने-अपने स्थानों से त्याग-पत्र दिये हैं, जिन्हें मैंने दिनांक 17 मई, 2004 से स्वीकृत कर लिया है.

## 15. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया :-

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा
(2) श्रीमती सुधा जैन
(3) श्री जयन्त मलैया
(4) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा
(5) श्री हरवंश सिंह
(6) श्री इन्द्रजीत कुमार

## 16. अशासकीय संकल्प

(1) श्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि ललितपुर-सिंगरोली व्हाया टीकमगढ़-पन्ना रेल लाईन का निर्माण पूर्ण किया जावे."

**उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.**

सदस्य श्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सुश्री कुसुम सिंह महदेले, श्री कमलापत आर्य, श्री गोविन्द सिंह राजपूत, श्री सुनील नायक, श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद), श्री रामलखन शर्मा तथा श्री नागेन्द्र सिंह गुढ़ ने चर्चा में भाग लिया।

डॉ. ढालसिंह बिसेन, परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

(2) श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि हावड़ा से जबलपुर चलने वाली शक्तिपुंज ट्रेन को भोपाल तक बढ़ाई जावे तथा स्टापेज सीधी जिले के बरगवां, भदौरा में किया जावे."
तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

सदस्य श्री लवकेश सिंह, श्री लक्ष्मण सिंह गौड़, श्री राजवर्धन सिंह, श्री उमाशंकर गुप्ता, श्री रामलखन शर्मा, श्री इंद्रजीत कुमार तथा श्री छत्रपति सिंह ने चर्चा में भाग लिया।

डॉ. ढालसिंह बिसेन, परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

(3) सर्वश्री नारायण त्रिपाठी, राजेश पटेल, रविन्द्र सुका महाजन, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि -

" सदन का यह मत है कि प्रदेश के पुरातत्व महत्व के महल, किले, मस्जिद व मंदिरों को राष्ट्रीय धरोहर मानकर पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जावे."

सदस्य श्री नारायण त्रिपाठी, सुश्री कुसुम सिंह महदेले, श्री घनश्याम सिंह, डॉ. सुनीलम्, श्री उमाशंकर गुप्ता, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री राजनारायण सिंह पुरनी तथा श्री शंकरलाल तिवारी ने चर्चा में भाग लिया।

श्री अनूप मिश्रा, राज्य मंत्री पर्यटन ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प अस्वीकृत हुआ.

(4) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि -

" सदन का यह मत है कि प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जावे."

तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

सदस्य श्री लक्ष्मण सिंह गौड़, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री राजनारायण सिंह, श्री शंकर लाल तिवारी तथा श्री नारायण त्रिपाठी ने चर्चा में भाग लिया।

चौधरी चन्द्रभान सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प अस्वीकृत हुआ.

5.34 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 28 जून, 2004 (आषाढ़ 7, 1926) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.